

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032021-226016 CG-DL-E-19032021-226016

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]

No. 981

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 19, 2021/फाल्गुन 28, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 19, 2021/PHALGUNA 28, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2021

सं. 44 / 2015-2020

विषय:— मोजिम्बक में उगाए जाने वाले पीजन पीज के आयात के लिए भारत और मौजिम्बक के बीच समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन

फा. सं. एम-5012/300/2002-पीसी 2(क) (ई-2578).-विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत गणराज्य की सरकार और मौजाम्बिक गणराज्य की सरकार के बीच प्रतिवर्ष 2 लाख मीट्रिक टन पीजन पीज के आयात के लिए समझौता ज्ञापन बढ़ाए जाने का अनुपालन करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा समझौता ज्ञापन के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए प्रक्रिया/तौर तरीके निर्धारित करते हैं।

2. मोजाम्बिक गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच पीजन पीज के उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में सहयोग पर विस्तारित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, भारत मोजाम्बिक उद्गम के 2,00,000 मीट्रिक टन पीजन पीज का आयात 2021–22 के दौरान करने पर सहमत हुआ है।

1715 GI/2021 (1)

- 3. तदनुसार, राजकोषीय वर्ष 2021—22 के दौरान मोजम्बिक से आयात किए जाने वाले 2,00,000 मीट्रिक टन पीजन पीज को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयात की अनुमति दी जाती है:—
- क. आयात केवल निम्नलिखित 5 पत्तनों के रास्ते अनुमत होगाः (i) मुम्बई (ii) तुतीकोरिन (iii) चेन्नई (iv) कोलकाता और (v) हजीरा।
- (ख) आयात मोजाम्बिक सरकार द्वारा दिए गए स्टांप युक्त आईसीएम (इंस्टीट्यूटो डी सेरेअसी डी मोकाम्बिक) में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा प्रमाणित 'उद्गम प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगा, जिसे उपर्युक्त पत्तनों के संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों और सीबीआईसी के साथ साझा किया जा रहा है।
- ग. उद्गम प्रमाण-पत्र प्रदान करते समय (जिसमें दालों के निर्यातक आयातक और मात्रा का ब्यौरा शामिल है) नामित प्राधिकारी प्रमाणपत्र की एक स्कैन की हुई प्रति mohapatra.sk@nic.in और shyama.roy@nic.in को भेजेगा।
- घ. यहां भारत में आयातक यथोक्त जारी प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति उपर्युक्त ई—मेल पते अर्थात् mohapatra.sk@nic.in और shyama.roy@nic.in पर इस पर अनापित प्रमाणपत्र के साथ डीजीएफटी को मेल भेजेगा। डीजीएफटी इन दोनो दस्तावेजों का मिलान करेगा और आवेदक आयातक को अनापित प्रमाणपत्र देगा जिसके आधार पर सीमाशुल्क खेप की निकासी करेगा।
- 4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः मोजाम्बिक से पीजन पीज के 2 लाख मीट्रिक टन के आयात हेतु प्रक्रिया / तौर तरीके को निर्धारित किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एंव पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 19th March, 2021

No. 44 / 2015-20

Subject: Implementation of MoU between India and Mozambique for import of pigeon peas from Mozambique - reg.

- **F. No. M-5012/300/2002-PC 2(A)(e-2578).**—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (2015-2020) and in compliance with the extension of Memorandum of Understanding (MoU) between Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Mozambique for import of 2 lakh MT of Pigeon Peas by India, the Director General of Foreign Trade hereby lays down the procedures / modalities for complying with the aforesaid provisions under the MoU.
- 2. In pursuance of the extended Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Mozambique and Government of the Republic of India on cooperation in the field of production and marketing of pigeon peas, India has agreed to allow import of 2, 00,000 MT of pigeon peas of Mozambique origin during 2021-22.
- 3. Accordingly 2, 00,000 MT of pigeon peas to be imported from Mozambique, during the fiscal year 2021-22 is allowed for import, subject to the following conditions:
 - a. Import will be allowed only through the following 5 ports: (i) Mumbai, (ii) Tuticorin, (iii) Chennai, (iv) Kolkata and (v) Hazira.
 - b. Import will be subject to production of "Certificate of Origin" certified by the authorized signatories in the ICM (Instituto de Cereasi de Mocambique) with stamps provided by the

Government of Mozambique, which is being shared with the concerned Customs authorities of the above ports and CBIC.

- c. While providing the Origin Certificate (including details of the exporter, importer and quantity of pulses), the designated authority will send a scanned copy of the certificate to mohapatra[dot]sk[at]nic[dot]in and shyama[dot]roy[at]nic[dot]in.
- d. The importer here in India will send a mail to DGFT with scanned copy of the certificate issued as above, for NOC on the same e-mail address as above, i.e., mohapatra[dot]sk[at]nic[dot]in and shyama[dot]roy[at]nic[dot]in. DGFT will compare both these documents and allow NOC to the applicant importer, based on which Customs will clear the consignments.
- 4. **Effect of this Public Notice**: Procedure/modalities for import of 2 LMT of Pigeon Peas from Mozambique under the MoU is laid down.

AMIT YADAV, Director Genl. of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.